Suggestions are invited from every one on draft regulation of D.L.Ed.

All Such Suggestions may addressed to:

Sh. A.K. Pandeya

Academic Directory

Bihar School Examination Board, Patna

Mail ID-akpandeya@gmail.com

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, डी०एल०एड० कोर्स संबद्धता विनियमावली, 2016

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा—17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद्द्वारा प्रशासी विभाग द्वारा संपुष्टीकरण के अधीन रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा से संबंधित) निम्नलिखित विनियमावली बनाती है

1. **संक्षिप्त नाम :—** ;पद्ध यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण—पत्र

निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमावली 2016 कही जायेगीं

- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगां
- (iii) यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगीं
- 2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में -
 - (i) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952,
 - (ii) स्क्रीनिंग समिति से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की समितिय
 - (iii) अध्यक्ष से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्षय
 - (iv) संयुक्त संस्थान से अभिप्रेत है विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डी०एल०एड० कोर्स के संचालन से संबंधित अनापित प्रमाण—पत्र के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार कला अथवा विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, मानविकी अथवा वाणिज्य अथवा अध्यापक शिक्षा अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा होय
 - (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं उसकी क्षेत्रीय समिति / समितियाँय
 - (vi) शैक्षणिक निदेशक से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशकय
 - (vii) सचिव से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिवय
 - (viii) निजी / गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से अभिप्रेत है गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालयय
 - (ix) समिति से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समितिय
 - (x) संस्था प्रधान से अभिप्रेत है संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य
- 3. प्रस्तावना यह विनियम संस्थानों द्वारा नये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डी०एल०एड० कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त करने तथा पूर्व से स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त उसकी संबद्धता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त करने संबंधी सभी विषयों पर लागू होगा यथा —
- i. संयुक्त संस्थानों द्वारा नया डी०एल०एड० कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना
- ii. पूर्व से संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नया डी०एल०एड० कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करनां
- iii. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से नये डी०एल०एड० कोर्स संचालन की मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त समिति से संबद्धता संबंधी अनुमित प्राप्त करनां

- iv. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन हेतु अतिरिक्त प्रवेश क्षमता संबंधी मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की समिति से संबद्धता संबंधी अनुमति प्राप्त करनां
- v. वर्तमान अध्यापक शिक्षण संस्थान जिसमें डी०एल०एड० कोर्स संचालित है, के द्वारा स्थान बदलने अथवा

परिसर का स्थान बदलने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समिति

से सहमति प्राप्त करनां

- 4. पात्रतां— संस्थानों की निम्न श्रेणियाँ इस विनियम के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु एवं संबद्धता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगी, यथा —
- i. राज्य सरकार अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थानं
- ii. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानं
- iii. समुचित विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसाइटियों तथा न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा स्थापित एवं संचालित स्वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानं

5. आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमां-

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदनं-

- i. विनियम 4 के अधीन पात्र ऐसे संस्थान जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डी०एल०एड० कोर्स चलाने के इच्छुक हैं और इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता हेतु आवेदन करना है, प्रोसेसिंग फीस और निर्धारित दस्तावेजों सहित समिति को आवेदन कर सकते हैं
- ii. आवेदन में पूर्व से संचालित कार्यक्रम/कोर्स का विवरण एवं आवेदन के साथ संचालित कोर्स के मान्यता संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का प्रमाण-पत्र/पत्र की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित तथा भूमि एवं भवन से संबंधित प्रमाण-पत्र जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूमि का स्वामित्व संबंधित संस्था के पास है, संलग्न किया जाएगां
- iii. ऐसी अलाभकारी सोसाइटी अथवा न्यास अथवा कम्पनी जो एक ही साथ संयुक्त संस्थान के रूप में नया कोर्स संचालित करना चाहती है उन्हें दूसरे कोर्स के संबंध में साक्ष्य आवेदन के साथ देना होगां
- iv. आवेदन—पत्र संस्था के प्रधान यथा प्राचार्य, सोसाइटी / न्यास के अध्यक्ष / सचिव, कम्पनी के कार्यकारी प्रबंध निदेशक के द्वारा ही किया जाएगां
- v. आवेदन—पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करने की निर्धारित समयाविध के अन्दर एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को मान्यता हेतु आवेदन करने के पूर्व किया जाएगां
- vi. निर्धारित समयाविध के पूर्व या बाद में किये गये आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा और इस हेतु समिति दोषी नहीं होगी और प्रोसेसिंग फीस की राशि जब्त कर ली जाएगी
- vii. निर्धारित समयाविध में प्राप्त आवेदनों पर उनके गुण दोष एवं राज्य में कोर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा तथा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगीं
- viii. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाने अथवा अस्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस की राशि आवेदक को वापस नहीं की जाएगीं

(ख) संबद्धता हेतु आवेदनं–

- i. वैसे संस्थान जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (डीoएलoएडo कोर्स) संचालन हेतु मान्यता प्राप्त हो गई है, समिति से संबद्धता हेतु आवेदन कर सकेंगें
- ii. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं संबद्धता शुल्क और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किया जा सकेगां
- iii. अपेक्षित दस्तावेजों में निम्न दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएँगे
 - (क) निर्धारित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्रं
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्रं
 - (ग) नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क अनुपालन प्रमाण पत्रं
 - (घ) पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम अनुपालन प्रमाण पत्रं
 - (ड.) स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण पत्रं
- iv. सभी दृष्टियों से विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन—पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगां
- v. विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सारी प्रक्रिया पूरी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता से संबंधित सूचना संबंधित संस्थान को संसूचित कर दी जायेगी
- 6. प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस)ं— बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रोसेसिंग फीस के रूप में

निम्नवत राशि ली जाएगी:-

- i. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र** संस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आवेदन पत्र के साथ 5000 / रु० का बैंक ड्राफ्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद्नाम से जमा किया जाएगां
- ii. संबद्धता शुल्क संस्थान द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन करते समय आवेदन—पत्र के साथ संबद्धता संबंधी आवेदन के प्रोसेसिंग फीस के रूप में 15,000 / —रु० का बैंक ड्राफ्ट एवं संबद्धता शुल्क के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त मान्यता के अनुसार प्रति इकाई 35,000 / —रु० का बैंक ड्राफ्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद्नाम से जमा करना होगां

7. आवेदन पत्रों को प्रोसेस करनां-

(क) अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन: अनापित्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से संबंधित संस्थान से प्राप्त आवेदन पत्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शीघ्रता के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा एवं प्राप्त आवेदन के गुण दोष के आधार पर विवेचन करते हुए हर हाल में 15 दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगीं

(ख) संबद्धता से संबंधित आवेदन पत्रं-

- i. संबद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर समीक्षा कर ली जाएगी कि प्राप्त आवेदन सभी प्रकार से सही है एवं आगे की कार्रवाई हेतु योग्य हैं
- ii. त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सुधारने का एक मौका संबंधित संस्थान को दिया जाएगा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्थान को सूचित किये जाने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर सुधरा हुआ आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जमा करने की जवाबदेही संस्थान की होगीं
- iii निर्धारित तिथि तक सुधरा हुआ आवेदन नहीं जमा करने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सुरक्षित होगा जो संस्थान को मान्य होगां इस प्रकार के प्राप्त आवेदन को प्रोसेसिंग से संबंधित समय की गणना सुधरा हुआ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से की जाएगीं

- iv. हर तरह से सही पाये जानेवाले आवेदन पत्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विशेषज्ञों की एक चार सदसीय टीम गठित कर संस्थान की जाँच करायी जायेगी विशेषज्ञों के दल के द्वारा जाँच के क्रम में जाँच का पूरा विडियो रेकोर्डिंग कराई जायेगी जिसकी व्यवस्था संस्थान के द्वारा की जाएगी एवं विडियो रेकोर्डिंग की सीडी जाँच दल को उसी तिथि को उपलब्ध करा दी जाएगीं
- v. समिति द्वारा एक जाँच समिति गठित की जायगी जो निम्नवत् होगा :-
 - (क) जिला शिक्षा पदाधिकारी- संयोजक
 - (ख) समिति द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी सदस्य
 - (ग) डायट / राजकीय कोटि के प्रशिक्षण महाविद्यालय के एक प्राचार्य / प्राचार्या सदस्य
 - (घ) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०ई०आर०टी०), पटना के द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी — सदस्य
- vi. जाँच समिति के संयोजक एवं सदस्यों को मानदेय के रूप में पन्द्रह सौ रू० देय होगा इसके अतिरिक्त वाहन

या नियमानुसार यात्रा—भत्ता भी देय होगा ं जाँच समिति निश्चित् रूप से 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन

समर्पित करेंगीं

Vii. आवेदन प्राप्ति के 25 दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संस्थान की जाँच आवश्यक रूप से कराते हुए जाँच प्रतिवेदन सीडी के साथ प्राप्त कर लिया जाएगां समय का अनुपालन करना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जिम्मेवारी होगीं

Viii. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता प्रदान करने से संबंधित

स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगां

IX. स्क्रीनिंग समितिं—गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित प्रशिक्षण महाविद्यालय को सम्बद्धता देने तथा

वापस लेने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :--

- 1. शैक्षणिक निदेशक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति —
- 2. परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) सदस्य

अध्यक्ष

- 3. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी सदस्य
- 4. उप सचिव (विद्यालय स्थापना), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सदस्य सचिव
- x. स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में संस्थान को संबद्धता प्रदान करने पर निर्णय लिया जायेगा
- xi. वैसे संस्थान जिसके जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी उन्हें संसूचित किया जाएगा और त्रुटि सुधारने

का एक मौका संस्थान को अवश्य दिया जाएगां

Xii. वैसे संस्थान जिनकी संबद्धता सुधार का मौका दिये जाने के बाद भी अस्वीकार कर दिया जाता है वैसे

संस्थान द्वारा जमा किया गया प्रोसेसिंग फीस एवं शुल्क समिति द्वारा जब्त कर लिया जाएगां

8. **संबद्धता प्रदान किये जाने की शर्तें**—समिति द्वारा सभी प्रकारसे सही पाये जाने के उपरान्त संबंधित संस्थान

को डी०एल०एड० कोर्स के लिए संबद्धता निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी:—

 संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेसन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक होगां

- ii. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता प्राप्त संस्थानों का समय—समय पर पदाधिकारियों / विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेत् सक्षम होगीं
- iii. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय—व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगां
- iv. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक किर्मियों के मानदेय / वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगीं
- v. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद् त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में
- सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जायेगीं
 - vi. संस्थान के विरूद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद / शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर संबद्धता रद्द करते हुये मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगीं
 - vii. प्रति वर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया हैं
- viii प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगीं
- ix महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय

व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायगां

x जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज

उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी संबंद्धन की शर्तों का उल्लंघन

समझा जाएगां

xi संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं

रखने होंगें

xii संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेवसाइट पर अद्यतन

जानकारी प्रदर्शित करेगां समिति द्वारा समय—समय पर इसकी छानबीन की जायेगी एवं ऐसा नहीं किया जाना

संबंद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगां

9. प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मापदंड और मानकं-

(i) अवधिं—

डी०एल०एड० कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा किन्तु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी

(ii) कार्यदिवसं—

- (क) प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी
- (ख) संस्था सप्ताह (पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है, तािक आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके
- (ग) विद्यार्थी—अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी

(iii) दाखिला क्षमतां—

बुनियादी युनिट 50 विद्यार्थियों का होगां प्रारम्भ में दो बुनियादी युनिटों की अनुमति हैं लेकिन, सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने पर, अधिकतम चार यूनिट रखने की अनुमति दी जाएगीं

(iv) पात्रतां—

- (क) उच्च माध्यमिक ,2द्ध अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50: अंकों वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र हैं
- (ख) अनु0 जाति / अनु0 ज0 जाति / अन्य पिछड़े वर्गों / पी०डब्लू०डी० और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सीट—आरक्षण और अंकों में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी, जो लागू होंगें

(v) प्रवेश प्रक्रियां-

प्रवेश अर्हकारी परीक्षा और / अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसर चयन या किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगां

,vi) शुल्कं—

संस्था केवल वह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित संबंद्धन निकाय / राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस और अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार विहित किया गया होगा और विद्यार्थियों से दान, प्रतिव्यक्ति फीस (कैपिटेशन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी

(vii) मृल्यांकनं-

प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रमों के लिए 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा ली जानेवाली परीक्षा के लिए नियत किये जा सकते हैं और कुल अंकों के एक चौथाई अंक स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण पर के 16 सप्ताहों के दौरान विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियत किये जा सकते हैं आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारांश सम्बद्धक निकाय द्वारा उपर विर्निदिष्ट की गयी श्रृंखलाओं के भीतर निर्धारित किया जायेगा उम्मीदवारों का आंतरिक मूल्यांकन समूचे प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल अध्ययन के उनके यूनिटों के भाग के रूप में उन्हें दी गयी परियोजना / दिये गये फील्ड कार्य के आधार पर नहीं मूल्यांकन का आधार और इस्तेमाल किये गये मापदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिए, तािक वे व्यावसारिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सके विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों / अंकों की सूचना दी जायेगी, तािक उन्हें अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो आंतरिक मूल्यांकन के आधारों में सींपे गये वैयिक्तक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, विचारशील जर्नल आदि शािमल हो सकते हैं

10. शैक्षणिक संरचनां-

(i) स्टाफ और शैक्षणिक निकाय :

50—50 विद्यार्थियों के दो बुनियादी युनिटों तक की भर्ती के लिए, संकाय सदस्यों की संख्या 16 होगीं प्रिंसिपल अथवा विभागाध्यक्ष को संकाय में शामिल किया जाता हैं विषय—क्षेत्रों में संकाय का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:—

- 1. प्रिंसिपल / विभागाध्यक्ष एक
- 2. शिक्षा में परिप्रेक्ष्य / शिक्षा के आधार तीन
- विज्ञान दो
- 4. मानविकी और समाज विज्ञान दो
- **5**. गणित दो
- **6**. भाषाएँ तीन
- 7. ललित कलाएँ / निष्पादक कलाएँ दो
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एक

टिप्पणियां— (i)यदि विद्यार्थियों की संख्या दो वर्षों के लिए केवल एक सौ हो, तो संकाय के सदस्यों की संख्या को घटा कर 08 कर दिया जाएगां विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों और कुछ शिक्षणशास्त्रीय पाठ्क्रमों में संकाय का बंटवारा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ किया जा सकता हैं (ii) संकाय का उपयोग अध्यापन के लिए लचीले तरीके से किया जा सकता है, तािक उपलब्ध शैक्षिक (अकादिमक) विशेषज्ञता का इष्टतम लाभ उठाया जा सकें

(ii) योग्यताएँ-

(क)प्राचार्य / विभागाध्यक्ष :

- (i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान/समाज विज्ञानों/कलाओं/मानवीकरण विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि, और कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम०एड०/एम०ए० (शिक्षा)/एम०एल०एड० की उपाधिं
- (ii) किसी अध्यापक शिक्षा संस्था में पढ़ाने का पाँच वर्ष का अनुभवं वांछनीय: शैक्षिक प्रशासन/शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा

(ख) शिक्षा में परिप्रेक्ष्य / शिक्षा के आधार और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रं—

डी०एल०एड० में अध्यापक शिक्षकों के पास 50 प्रतिशत अंकों के साथ समाज विज्ञान / विज्ञानेतर विषयों / विज्ञान / भाषा में मास्टर (एम०ए०) की उपाधि और 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम०एड० की डिग्री अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम०ए०(शिक्षा) की उपाधि होनी चाहिए सिवाय (दो) स्थितियों के, जहां आवश्यकता 50 प्रतिशत अंकों के साथ व दर्शन शास्त्र / समाज विज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी०एल०एड० अथवा बी०एड० अथवा डी०एल०एड० की उपाधि अथवा शिक्षा में एम०फील० / पी०एच०डी० की उपाधि है

(ग) शारीरिक शिक्षा

(1) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ व्यायाम शिक्षा में मास्टर की डिग्री (एम०पी०एड०)

(घ) दृश्य और अभिनय निष्पादन कलाएं

(1) ललित कलाओं / संगीत / नृत्य / थियेटर में 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री

(iv) प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफं-

क (प)उच्च श्रेणी लिपिक / कार्यालय अधीक्षक — एक

(पप)कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टोर कीपर - एक

(पपप)कम्प्यूटर लैब असिस्टेंट – एक (कम्प्यूटर विज्ञान में बी०सी०ए० / बी०टेक) (पअ)पुस्तकालयाध्यक्ष (बी०लिब० के साथ) – एक

ख योग्यताएँ :--

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता

(v) सेवा के निबंधन और शर्तें—

अध्यापन और गैर—अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन की प्रक्रिया, वेतन—मान, अधिवार्षिकी की आयु और अन्य लाभ भी शामिल है, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगीं

(vi) आधारभूत सुविधाएँ—

(क) अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ संयुक्त रूप से डी०एल०एड० कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भूमि और निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगा :--

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)
डी०एल०एड०) 1500 वर्ग मीटर	2500
डी०एल०एड० और बी०एड०़ बी०ए०/बी०एस०सी०,	3000 वर्ग मीटर	3000
बी०एड० का शिक्षा		
डी०ई०सी०एड० और उसके साथ डी०एल०एड०	2500 वर्ग मीटर	3500
डी०एल०एड० और उसके साथ बी०एड० और एम०एड०	3500 वर्ग मीटर	
डी०एल०एड० और डी०ई०सी० और उसके साथ	4000 वर्ग मीटर	4000
बी०एड० और एम०एड०		

(टिप्पणी :डी०एल०एड० के एक युनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगीं)

- (ख) संस्था में निम्नलिखित आधारिक सुविधाएँ अवश्य होना चाहिए (प्रत्येक मद् में पी०डब्ल्यू०डी० के लिए गुंजाइश शामिल होनी चाहिए) :—
- (i) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षा का एक कमरां
- (ii) कुल 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें एक मंच के साथ 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हों
- (iii) पुस्तकालय एवं सह-संसाधन केन्द्रं
- (iv) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला (विज्ञान और गणित किटों, नक्शों, ग्लोव, रसायनों, विज्ञान किटों आदि के साथ)ं
- (v) कम्प्यूटर प्रयोगशालां
- (vi) कला और शिल्प संसाधन केन्द्रं
- (vii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केन्द्रं
- (viii)प्रिंसिपल का कार्यालयं
- (ix) स्टाफ के लिए कमरां
- (x) प्रशासनिक कार्यालयं
- (xi) स्टोर के कमरे (दो)ं
- (xii) पुरूष और महिला विद्यार्थी—अध्यापकों के लिए अलग—अलग समान्य कक्षं
- (xiii)केंटीनं

(xiv)आगन्तुक कक्षं

(xv) पुरूष और महिला विद्यार्थी—अध्यापकों, और स्टाफ के लिए अलग—अलग प्रसाधन एवं शौचालय सुविधा कक्ष, जिनमें से एक पी०डब्ल्यू०डी० के लिए होना चाहिएं

(xvi)पार्किंग स्थलं

(xvii) उद्यानों, बागवानी, क्रियाकलापों, आदि के लिए खुला स्थानं

(xviii) स्टोर रूमं

(xix)बहु प्रयोजनी खेल का मैदानं

टिप्पणी : दाखिल किए गए यूनिटों की संख्या 'क' अनुसार क्रम संख्या ;पद्ध की आवश्यकता में वृद्धि हो जाएगीं

(vii) अनुदेशात्मकं-

- (क) संस्था पुस्तकालय—व—संसाधन केन्द्र स्थापित करेगी, जहाँ अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहुँच अध्यापन—शिक्षाप्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता देने और उसे और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और संसाधनों तक होगीं इनमें ये चीजें शामिल होनी चाहिएं
 - (i) पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ
 - (ii) बच्चों की पुस्तकें
 - (iii) श्रव्य-दृश्य उपस्कर-टी०वी०, ओएचपी, डी०वी०डी० प्लेअरं
 - (iv) श्रव्य-दृश्य उपकरण, स्लाइडें, फिल्में
 - (v) अध्यापन के उपकरण- चार्ट, चित्रं
 - (vi) विकास मूल्यांकन पड़ताल सूचियाँ और मापन के साधनं
 - (vii) फोटो-प्रतियाँ तैयार करने की मशीनं

(ख) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियाँ-

उपस्कर और सामग्रियाँ उन विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, जिनकी योजना कार्यक्रम में बनाई गई हो, उपयुक्त गुणवत्ता वाली और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिएं इनमें निम्नलिखिलत चीजें शामिल है:

शैक्षिक किट, माडल, खेलों की सामग्री, विभिन्न विषयों (गीतों, खेलों, क्रियाकलापों और वर्कशीटों) पर सरल पुस्तकें कठपुतिलयाँ, चित्रों वाली पुस्तकें, फोटोग्राफ, फुलाई हुई चीजें, चार्ट, नक्शे, फलेश कार्ड, गुटके, चित्र वाली बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं के चित्रीय प्रस्तुतीकरणं

(ग) उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएँ तथा शिल्प क्रियाकलापं—

लकड़ी से काम करने के औजारों का एक सेट, बागबानी के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, कपड़ों की सिलाई करने, पोशाकों के डिजाइन तैयार करने, कठपुतली के खेल दिखाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री और उपस्कर, चार्ट और माडल तैयार करने के लिए सामग्री, और विद्यार्थी—अध्यापक द्वारा किए जाने वाले अन्य क्रियाशील कार्य—कलाप, कला सामग्री, अपशिष्ट सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड, आदि), कैचियों पैमानों (स्केल), आदि जैसे अन्य साधन और कपड़ां

(घ) श्रव्य दृश्य उपस्करं-

प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफट्वेयर सुविधाएँ, जिनमें टी०वी०, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड, फिल्में, चार्ट, चित्र, शामिल हैं उपग्रह आरओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेटेलाइट इंटर टर्मिनल) वांछनीय होंगें

(ड) संगीत उपकरण (वाद्य)ं-

समान्य संगीत उपकरण अर्थात साज, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा और अन्य देशी वाद्यं

(च) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएँ-

संस्था की सथापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकों उपलब्ध होनी चाहिए और हर वर्ष उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकों बढ़ाई जानी चाहिए पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के लिए विश्वकोश, शब्द—कोश, सन्दर्भ पुस्तकों, व्यावसायिक शिक्षा सम्बंधी पुस्तकों, अध्यापकों के काम आने वाली पुस्तिकाएँ, बच्चों के बारे में और बच्चों के लिए पुस्तकों (जिनमें चुटकले, (कामिक्स), कहानियाँ, चित्रों वाली पुस्तकों / एल्बम और कविताएँ शामिल है) और वे पुस्तकों / संसाधन पुस्तकों शामिल होने चाहिए, जो एनसीटीई द्वारा प्रकाशित की गई हों और जिनकी सिफारिश एनसीटीई द्वारा की गई हो, और शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम तीन अन्य प्रतिष्टित जर्नल भी इस संग्रह में शामिल होने चाहिए

(छ) खेल और खेलकूदं-

भीतर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले सामान्य खेलों के पर्याप्त खेल उपस्कर उपलब्ध होने चाहिएं

(viii) अन्य सुविधाएँ—

- (क) शैक्षिक और अन्य प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर अपेक्षित संख्या में
- (ख) पुरूष और महिला अध्यापक शिक्षकों / विद्यार्थी—अध्यापकों के लिए अलग—अलग सांझे सामान्य कमरें
- (ग) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएँ
- (घ) संस्था में सुरक्षित पेय जल मुहैया किया जाएं
- (ड) संस्था का परिसर, इमारत, सुविधा, आदि अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल होने चाहिएं
- (च) खेल के मैदान के साथ खेलों की सुविधाएँ होनी चाहिएं वैकल्पिक रूप से संलग्न स्कूल अथवा सथानीय निकाय के उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग निर्धारित अविधयों के लिए अनन्य रूप से किया जा सकता हैं जहाँ स्थान की कमी हो, जैसे कि महानगरों / पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, वहाँ छोटे मैदानों में खेले जाने वाले खेलों, योग और अन्तरंग खेलों के लिए सुविधाएँ मुहैया की जा सकती हैं

(टिप्पणी:—यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों में अनुपात के अनुसार वृद्धि करके) और शैक्षिक स्थान का उपयोग बाँट कर किया जा सकता है)

11. प्रबंधन समितिं-

संस्था सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति का गठन करेगीं नियमों के न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयमेव प्रबन्ध समिति गठित करेगीं समिति में प्रबन्ध समिति/न्यास/कम्पनी, शिक्षा विशारदों, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञों और स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगें

- 12. परीक्षा शुल्कं ;प्द समिति द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में राशि निम्नवत प्राप्त की जाएगी :
 - आवेदन प्रपत्र—250 / —रु0

- 2. परीक्षा शुल्क-100 / -रु0
- **3**. प्राप्तांक शुल्क-350 / -रु0
- **4**. विविध शुल्क-600 / -रु0
- 5. <u>বিলঁৰ খুল্ক-175/-২০</u> কুল-1475/-২০

,ण्द्ध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर यथा संशोधित


13. शैक्षणिक कैलेंडरं— दो वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगां संस्थानों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ससमय बेहतर रूप से पूरा किया जा सके एवं समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो इस हेतु समिति द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से अकादिमक कैलेंडर भी जारी किया जा सकेगा जिसका अनुपालन अनिवार्यता होगीं

14. सम्बद्धता की वापसीं-

- 1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किसी विशिष्ट विषय अथवा, सभी विषयों में सम्बद्धता की वापसी की जा सकेगी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) शिक्षा देने वाली संस्था असम्बद्ध की जा सकेगी यदि समिति का समाधान हो जाय ऐसी संस्थाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सम्बद्धता जारी रखने के योग्य नहीं हैं
- 2. सम्बद्धता की कार्रवाई प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में समिति द्वारा आरम्भ की जा सकेगीं
 - (i) इन उपविधियों में उपबंधित के सिवाय प्रयोजनों के लिए निधि के अपवर्तन सहित वित्तीय अनियमितताय
 - (ii) विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध देश द्रोह अथवा परायापन की भावना को मन में बैठाने अथवा उसे बढ़ावा देने सहित राज्य के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में व्यस्त रहनाय
 - (iii) समाज के विभिन्न धाराओं के बीच असामंजस्य / घृणा को बढ़ावा देना या रहने देनाय
 - (iv) सम्यक नोटिस के बाद भी संबंधित किमयों को दूर करने से अधिकथिक शर्तों को पूरा नहीं किया जानाय
 - (v) चेतावनी पत्र प्राप्त होने के बाद भी सम्बद्धता के नियमों एवं शर्तों का ध्यान नहीं रखनां
 - (vi) प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रबन्धन के अन्दरूनी दुश्मनी से उत्पन्न बीच विवाद के चलते प्रशिक्षण महाविद्यालय के सुगम कार्यशैली में बाधाय
 - (vii) लगातार तीन वर्षों तक निम्नस्तरीय कार्यकलाप सामान्य उत्तीर्णता प्रतिशत के कम से कम 50 प्रतिशत उत्तीर्णता बनाये रखने में प्रशिक्षण महाविद्यालय का शैक्षणिक कार्यकलाप अपर्याप्त होनाय
 - (viii) किसी विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए समुचित उपकरण/स्थान/स्टाफ की अनुपलब्धताय
 - (ix) नामांकन / परीक्षा / किसी अन्य क्षेत्र, जो समिति की राय में, प्रशिक्षण महाविद्यालय की तुरन्त असम्बद्धता के लिए न्याय संगत हो, से संबंधित कोई अन्य कदाचारय
 - (x) एक समिति / प्रबन्धन / न्यास द्वारा अन्य समिति / प्रबन्धन / न्यास एकरारनामा / विक्रय विलेख के माध्यम से प्रशिक्षण महाविद्यालय की संपत्ति के अन्तरण / विक्रय दशा मेंय
 - (xi) रिट याचिका (अपराधिक) संख्या—666—70 / 1992 विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक—13.08.1997 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित आदेश द्वारा विहित नियमों का उल्लंघन स्थापित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी
- 3. बोर्ड प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रबन्धन को शो—कॉज नोटिस अधिकतम एक वर्ष के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर देना जिसमें असफल रहने पर बोर्ड संस्था को असम्बद्ध घोषित कर सकेगां बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगां शो—कॉज नोटिस की अधिकतम अविध एक माह से अधिक नहीं हो सकेगीं
- 4. सम्बद्धता के लिए केवल आवेदन पत्र देने अथवा उसके बोर्ड के पास लम्बित रहने से किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय को ''बोर्ड से संबद्ध होना'' लिखने का न तो वह हकदार होगा और न

- किसी रीति से कुछ भी करने का सहारा लेगा जिससे लोगों के मन में इसके संबंध में कोई गलत छवि बनें
- 5. यदि कोई प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय के संबद्ध होने के लिए विहित नियमों और / या बोर्ड के नियमों को बनाएँ रखने में असफल रहे अथवा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्य कलाप स्तरों में गिरावट आवे तो बोर्ड उन किमयों को दूर कर अधिकतम एक वर्ष के भीतर सम्बद्धता कायम रखने हेतु निर्धारित स्तर तक आने के लिए आदेश देगां यदि प्रशिक्षण महाविद्यालय अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होते हैं तो सम्बद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय की हैसियत वे खो सकेंंगे और यहाँ तक कि यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय तो असम्बद्ध कर दिये जा सकेंंगें
- 6. किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय को असम्बद्ध कर दिये जाने पर यदि सम्बद्धता के पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन असम्बद्ध होने की तिथि से पाँच साल के भीतर प्रस्तुत करता है तो स्क्रीनिंग समिति बिना कोई सम्बद्धता शुल्क लिये उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगीं परन्तु उपविधि के उपबंधों के पुर्नवहेलना पर उस प्रशिक्षण महाविद्यालय की सम्बद्धता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जायेगीं
- 15. महाविद्यालय का अंतरण/विक्रयं— महाविद्यालय या महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति का एक सोसाईटी/प्रबन्धन/न्यास से अन्य सोसाईटी/प्रबन्धन/न्यास को विक्रय विलेख एकरारनामा के माध्यम से अंतरण/विक्रय की स्वीकृति बोर्ड नहीं देगां यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से हुआ हो तो समिति तुरन्त प्रभाव से उसकी सम्बद्धता वापस ले लेगां
- 16. कितनाइयों का निराकरणं— इस विनियम के लागू होने से यदि किसी प्रकार की कितनाई होती है तो उसे दूर करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा सिमित सक्षम होगी एवं इस हेतु आवश्यकता अनुसार अलग से नियम, विनियम, निदेश एवं पत्र जारी कर सकेगी जो इस विनियम के अन्तर्गत माने जायेंगे और जिसका अनुपालन संस्थाओं के लिए आवश्यक होगां
- 17. निरसन एव व्यावृतिं— इस विनियम के लागू होने की तिथि से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से पूर्व में निर्गत पत्रों, परिपत्रों, नियम एवं विनियमों का निरसन किया जाता हैं ऐसे निरसन के बावजूद एतद द्वारा जिन पत्रों, परिपत्रों, नियम एवं विनियमों का निरसन किया गया है उनके अधीन की गई कोई भी कार्रवाई जो इस विनियम के परस्पर विरोधी नहीं है, इस विनियम के तदनुरूपी प्रावधानों के अन्तर्गत की गई कार्रवाई मानी जाएगीं

ऐसे संस्थान, जिन्हें इस विनियम के पूर्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता प्रदान कर दी गई है उनके द्वारा भी इस विनियम के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा और यदि उनके द्वारा निर्धारित संबद्धता शुल्क नहीं जमा किया गया है तो उन्हें विनियम के निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर निर्धारित संबद्धता शुल्क जमा किया जाएगां ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी संबद्धता निरस्त की जाएगीं



Bihar School Examination Board, Patna

Bihar School Examination Board, D.L.Ed. Course affiliation Regulation 2016.

In exercise of power conferred under section 17 of the Bihar School Examination Board Act 1952 (as amended from time to time), the Bihar School Examination Board Patna is hereby making the following Regulation (in connection with teachers education) subject to the conformation of the Administration department.

- 1. Short title- (i) These Regulation shall be called Bihar School Examination Board (issuance of non objection certificate, affiliation norms and procedure) Regulation 2016.
- (ii) It shall extend to the whole state of Bihar.
- (iii) These Regulation shall come into force from the date of notification.
- 2. In these regulation, unless the context otherwise requires.
- (i) "Act" means Bihar School Examination Board Act 1952.
- (ii) "Screening Committee" means screening committee of the Board.
- (iii) "Chairman" means the Chairman of the Bihar School Examination Board.
- (iv) "Composite Institution" means a duly recognised higher education institution offering undergraduate or post graduate programme of study in Arts Science or social science, humanities or commerce or teacher education programme or mathematics as the case may be at the time of

- applying for non objection certificate in connection with teacher education programme conducting D.L.Ed course.
- (v) "National Council for teachers Education" means National Council for teacher education and its regional committee/committees.
- (vi) "Director (Academic)" means Director (Academic) of education committee of Bihar School Examination Board.
- (vii) "Secretary" means the Secretary of Bihar School Examination Board.
- (viii) "Private/non government training
 institution/college" means institution/ college
 managed by non government organisation.
- (ix) "Board" means Bihar School Examination Board.
- (x) "Head of the Institution" means Principal of the concerned teacher training college.
- 3. Preamble-These Regulation shall be applicable in matters of issuance of non objection certificate to institutions initiating new teacher education programme D.L.Ed course, in the matter of obtaining affiliation from Bihar School Examination Board after having received recognition from National Council for teachers education and for grant of affiliation and in matter of addition in the sanctioned in take for which recognition had been given by National Council for teacher Education namely
- i. In issuance of no objection certificate to composite institution starting new D.L.Ed course.
- Ii. In issuance of no objection certificate to teacher education institution starting new D.L.Ed. Course.

- iii. In obtaining affiliation for new D.L.Ed. course from Board, after recognition is granted by National Council of teacher education.
- iv. In obtaining affiliation for additional intake in D.L.Ed. Course after recognition for the additional intake is granted by National Council of teacher education.
- v. In seeking consent from the Board for shifting or relocating premises where presently D.L.Ed course is being offered, after the required consent is recently from National Council of teacher Education.
- 4. Eligibility- The following categories of institutions are eligible for consideration of their applications under these regulations.
- i. Institution established under the authority of the state government.
- ii. Institutions financed by the state government.
- iii. Self financed educational institutions established and operated by 'not for profit' societies and trusts registered under the appropriate law or a company incorporated under the companies Act.
- 5. Manner of making application and time limit (A) Application for non objection certificate
- i. An institution eligible under Regulation 4 desirous of running teacher education programme D.L.Ed course and for the said purpose it has to apply for grant of recognition before National teacher education council can apply with the processing fees and requisite documents.
- ii. The application with include details of programme/course being conducted from before along

with the self attested Photostat copy of the certificate of the validity of such course given by National teacher Educational Council/University/ state government and certificate of land establishing that the concerned institution has the ownership of the land.

- iii. Such not for profit societies, trust or company which simultaneously intend to offer new course will have to give evidentiary material in respect of the other course.
- iv. Application will be given by the head of the institution namely Principal, Chairman/Secretary of the society/trust acting managing director of the company.
- v. Application will be given within the time frame proscribed for grant of recognition by National teacher Education Council and also before submissions of application at National teacher Education Council for grant recognition.
- vi. Applications submitted before or after the time frame proscribed shall not be considered and for which the Board shall not be liable and the amount of processing fees will be forfeited.
- vii. Application, received within the prescribed time frame will be considered on their merit as well as keeping in view the necessity of the said course within the state and within 15 days of its receipt, the final outcome will be made available to the applicant.
- viii. In no case the amount of processing fees will be returned to the applicant, whether no objection certificate is issued or is rejected.
- B. Application for affiliation.

- i. Institutions which have been granted recognition for offering teacher education programme (D.L.Ed course) by National Council of teacher education can apply for affiliation from the Board.
- ii. Application are required to be submitted in the prescribed from with prescribed processing and affiliation fees along with the requisite documents.
- iii. Out of the requisite documents the following documents necessarily be enclosed with the prescribed application.
 - (A) Certificate stating following of prescribed working days.
 - (B) Certificate stating following of reservation as prescribed by the State Government.
 - (C) Certificate stating following of prescribed Admission fees and other fees.
 - (D) Certificate stating following of curriculum and courses.
 - (E) Certificate stating employment of staff, payment of salary and attendance.
- iv. Application duly filled up in all respects shall be submitted at Bihar School Examination Board within 10 days from the date of grant of recognition by National Council of teachers Education.
- v. After receipt of duly filled up application, the entire procedure shall be completed within a month and decision on the point of affiliation will be notified by the Bihar School Examination Board to the concerned institution.

- 6. Processing fees- The following amount will be taken by the Bihar School Examination Board as processing fees.
- i. No objection certificate- with the application for no objection certificate, a bank draft for Rs. 5000 in favour of Secretary, Bihar School Examination Board shall be submitted by the concerned institution.
- ii. Affiliation fees- At the time of applying for affiliation, a bank draft of Rs. 15000 as processing fees for affiliation and Bank draft of Rs. 35000 as affiliation fees per unit for the recognition granted by National Council of teacher education shall be submitted in favour of Secretary, Bihar School Examination Board.
- 7. Processing of applications (A) Application for no objection certificate- The application received from an institution for no objection shall be immediately processed by Bihar School Examination Board and decided on its merit and in any condition information with regard to its result will be made available to the concerned institution within 15 days.
- B. Application for affiliation
- i. Application received for grant of affiliation will be considered by the Bihar School Examination Board within 15 days as to whether the application is fit to be furthers proceeded.
- ii. An opportunity to rectified faulty application will be provided to the concerned institution and it is within 15 days of communication made in this regard by Bihar School Examination Board that it will be the responsibility of the concerned

institution to submit rectified application at the Board.

- iii. In case of non submission of the rectified application within the prescribed time, the right to take decision in the matter will be reserved by the Bihar School Examination Board which will be acceptable for the concerned institutions. The processing time for such application will be calculated from the date rectified application is received.
- iv. Applications of institutions found to be appropriate in all respects, will be inspected by a four member team of experts constituted by Bihar School Examination Board. The institution concerned shall arrange for videography of the inspection made by the team experts and shall make available CD of the Videography to the inspection team on the same date.
- v. An enquiry committee will be constituted by the Board in the following manner.
- A. District Education Officer- Co-ordinator
- B. Official nominated by the Board-member
- C. Principal of government training college/DIET-member
- D. A official nominated by Director State Education Research and training council (SCERT) Patna-member
- vi. Rs. 1500 as honorarium will be admissible to the co-ordinator and members of the enquiry committee. This apart conveyance or travelling allowance as per law will be also admissible. Enquiry committee report will be positively submitted by the enquiry committee within 15 days.

- vii. The Bihar School Examination Board will positively get enquiry report along with the CD of the institution within 25 days from the date of receipt of application. It will be the responsibility of Bihar School Examination Board to follows the time schedule.
- viii. On the basis of enquiry report decision will be taken by the Screening committee of the Bihar School Examination Board associated with affiliations.
- ix. Screening Committee- For grant and withdrawal of affiliation to training colleges established by non government organisation, Screening committee will be constituted in the following manner:
- 1. Academic Director Bihar School Examination Board-Chairman
- 2. Examination Controller (Secondary) member
- 3. An official nominated by the Director Research and training- member
- 4. Deputy Secretary (College establishment) Bihar School Examination Board- member secretary.
- x. On the basis of recommendation of the screening committee decision will be taken in the meeting of the Bihar School Examination Board for grant of affiliation to the institution.
- xi. Such institution in whose enquiry certain wrong is found, they will be communicated and will be necessarily provided with an opportunity to rectify the wrong.
- xii. Amounts deposited as processing fees and charges by such institution who despite being given opportunity to rectify in matters of

- affiliation but still was rejected, will be forfeited by the Board.
- 8. Conditions for grant of affiliation- The Board after finding the application appropriate in all respects will grant affiliation for D.L.Ed course under the following conditions.
- i. An Institution shall necessarily comply with the norms and standard prescribed under Regulation 2014 by National Council of teacher Education.
- ii. The Bihar School Examination Board on time to time will be competent to get the institutions getting affiliation inspected and supervised by its officials/experts.
- iii. An institution will make available audit report of income and expenditure every year to the Board.
- iv. An institution will make payment of honorarium/salary through bank to the teaching and none teaching employees legally appointed and working as per standard and will maintain the details of deductions made towards provident fund.
- v. Information in case of resignation or removal of teaching and non teaching employee will be immediately given to the Board and on the said post appointment will be made immediately in accordance with law.
- vi. On receipt of complaint, and after its enquiry on finding the charges to be proved affiliation will be cancelled with recommendation to National teacher education council for cancellations of recognition.
- vii. Each year after taking of admission a certificate will be made available by the

institutions to the board to the effect that the certificates of the admitted candidates is in conformity with the standard prescribed by National Teacher Council and it has been got verified from the issuing institutions.

Viii.After legally constituting of managing committee the list of members will be made available to the Board.

- ix. The account of the college will be operated by the Joint Signature of the Chairman/Secretary of the managing committee and the Principal or the Principal and senior Lecture.
- x. When ever needed the institution will have to furnish information or documents to the Board or to its authorised representative and non submission of the required documents will be treated to be violative of the conditions of affiliation.
- xi. Institution shall maintain such record, register and other documents which are essential for functioning of an institution.
- xi. The institution will ensure disclosure of necessary information and will upload the latest information on its official website which will be verified by the Board on time to time basis and none observing of the same will amount to violating the conditions of affiliation.
- 9. Norms and standard for diploma circulam in Elementary teacher education programme.
- i. Duration the D.L.Ed programme shall be of duration of two academic years, however, the students shall be permitted to complete the programme within a maximum period of three years from the date of admission to the programme.

- ii. Working days.
- A. There shall be at least two hundred working days in each year which will be exclusive of the period of examination and admission.
- B. The institutions shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days) during which physical presence in the institution of all the teachers and students in necessary to ensure their availability for advice, guidance, dialogue and consolation as and when required.
- C. The minimum attendance of student- teachers shall be 80% for all course work including practicum and 90% for school internship.

iii. Intake

The basic unit shall be of 50 students. Two basic units are permissible initial. However, government institutions shall be sanctioned a maximum intake of four units subject to fulfilment of other requirements.

iv. Eligibility:

- (a) Candidates with at least 50% marks in the higher secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.
- (b) The reservations and relaxations in marks for SC/ST/OBC PWD and other categories shall be as per the rules of the state government which is applicable.

v. Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any selection process as per the policy of the state government.

vi. Fees

The institution shall charge only such fees as by the affiliating body/state in accordance with provision government Council of teacher's National education (Guidelines for regulation of tuition fees other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulation 2002 as amended from time to time and shall not charge donation, capitation fees etc from the students.

Viii. Assessment

For each theory course, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment and 70% to 80% for examination conducted by the examining body; and one-fourth of the total marks shall be allocated to evaluating the student's performance during the 16 weeks of school internship. The weight age for internal and external assessment shall be fixed by the affiliating body within the ranges specified above. Candidates must be internally assessed on the entire practicum course and not only on the project/field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/marks as part professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment may include individual or group assignments, observation records, diaries, reflective journal, etc.

10. Academic Structure

- (I) For an intake of up to two basic units of 50 students each, the faculty strength shall be 16. The principal or HOD is included in the faculty. The distribution of faculty across subject areas may be as under.
- 1. Principal/HOD One
- 3. Science Two
- 4. Humanities & Social Sciences Two

- 5. Mathematics Two
- 6. Languages Three
- 7. Fine Arts/Performing Arts Two
- 8. Health and Physical Education One

Note:

(I) If the students' strength for two years is 100

Only, the number of faculty shall be reduced to 8. The faculty in specialised areas and some of the pedagogic courses can be shared with the other teacher education programmes.

(II) Faculty can be utilised for teaching in a flexible manner so as to optimize academic expertise available.

(II) Qualification

- (A) Principal/HOd
- (I) Postgraduate degree in science/Social Sciences/Arts/Humanities with minimum 55% marks, and M.Ed/ M.A (Education)/M.EL., Ed with minimum 50% marks
- (II) Five years teaching experience in a Teacher Education Institution.

Desirable: Degree/Diploma in Educational Administration/Education Leadership.

(B) Perspective in Education/Foundations of Education; & Curriculum and Pedagogy.

Teacher educators in D.EL.Ed should have Master degree in social science/ humanities/ science/ math/language with 55% marks, and M.Ed. with 55% marks or M.A. (Education with 50% marks (Except (two) positions where the requirement shall be post graduate in philosophy/sociology/psychology with 50% marks and B.EL.Ed or B.Ed. or D.EL.Ed with 50% marks, or M.phil/Ph.d in education.)

- (C) Physical Education.
- (I) Master's degree in Physical Education (M.P.Ed) with minimum 50% marks.
- (D) Visual and performing Arts.

(I) Master's degree in Fine Arts/Music/Dance/Theatre with 50% marks

(IV) Administrative and professional Staff

- A. (I) UDC/Office Superintendent One
 - (II) Computer Operator-cum-Store Keeper One
 - (III) Computer Lab Assistant One (BCA/B.Tech with Computer Science)
 - (IV) Librarian (with B.Lib) One

B. Qualification

As prescribed by State Government.

(V) Terms and conditions of service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the state Government/ Affiliating body.

(VI) Infrastructure Facilities

(a) Land and Built up area for running D.El.Ed programme in combination with other teacher education programmes shall be as under

Course (s)	Built	Uр	Area	Land	Area	(in
	(in So	(in Sqm)				
D.EL.Ed	1500 :	Sq.mts.		2500		
D.EL.Ed plu	s 3000 :	Sq.mts.		3000		
B.Ed.+Educatio	n					
Component o	f					
B.A/B.Sc.B.Ed.						
D.E.C.Ed plu	s 2500 :	Sq.mts.		3000		
D.El.Ed						
D.EL.Ed plu	s 3500 s	Sq.mts.		3500		
B.Ed plus M.Ed						
D.EL.Ed plu	s 4000 s	Sq.mts.		4000		
D.E.C.Ed plu	S					
B.Ed Plus M.Ed						

Note: Additional intake of one unit of D.EL.Ed will require additional built up area of 500 Sq.m. (Five hundred square meters)

- (b) The institution must have the following infrastructure (each item to include facilitation for PWD)
- (I) One Classroom for every 50 students .
- (Ii) Multipurpose Hall with seating capacity of two hundred with a dais with total area of 2000 sq.ft. (two thousand square feet.)
- (Iii) Library-cum-Resource Centre.
- (Iv) Curriculum Laboratory (with science and maths kits, maps, globes, chemicals, science kits, etc)
- (V) Computer Lab.
- (Vi) Arts and craft Resource Centre.
- (Vii) Health and Physical Education Resource Centre
- (Viii) Principal's Office
- (xi) Staff Room.
- (X) Administrative Office.
- (Xi) Store Rooms (two).
- (Xii) Common rooms separately for Men and Women student teachers.
- (Xiii) Canteen.
- (Xiv) Visitor's Room.
- (Xv) Separate Toilet Facility for Men and Women, student and staff of which on should be for PWD.
- (Xvi) Parking Space.
- (Xvii) Open space for lawns, gardening activities, etc.
- (Xviii) Store Room
- (Xix) Multipurpose Playfield.
- Note: Requirement at Sl. No. (i) will multiply with the number of units taken.
- (VII) Instructional

- (a) The institution shall establish Library-cum-Resource Centre wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching learning process. These should includes
- (I) Books, journals and magazines,
- (II) Children's books.
- (III) Audio-visual equipment-TV, OHP, DVD Player.
- (IV) Audio-visual aids, slides, films,
- (V) Teaching aids-charts, pictures,
- (VI) Development assessments check list and measurement tools,
- (VII) Photocopying machine

(B) Equipment and Materials for different Activities

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quantity and quality for the variety of activities planned in the programme, these include the following:

Educational Kits, models, play materials, simple books on different topics (songs, games, activities, and worksheets), puppets, picture books, photographs, blow-ups, charts, maps, flash cards, handbooks, pictures, pictorial representations of development characteristics of children.

(C) Equipment, Tools, Raw Material for Teaching Aids, Play Materials and Arts Crafts Activities.

One set of wood working tools, one set of gardeners tools, raw materials and equipment required for toy making, doll making, tailoring, dress designing, puppetry material for preparation of charts, models; and other practical activities to be done by the student-teacher, art material, waste material, stationary (chart paper, mount board etc) tools like scissors, scales etc, and cloth.

(D) Audio Visual Equipment

Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, DVD Player, slide projector, slides, films, charts, pictures. Satellite ROT (Receive Only Terminal) and SIT (Satellite Interactive Terminal) would be desirable.

(E) Musical Instruments

Simple musical instrument such a Harmonium, Tabla, Flute, Manjira and other indigenous instruments.

(F) Books, Journals and Magazines

A minimum of one thousand books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and one hundred standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopaedias, dictionaries, reference books on professional education teacher's handbooks, books on and for children (including comics, stories, picture books/album, and poems) and the books/resources published and recommended by NCTE. The institution should subscribe to online resources, and the journals published by NCTE, and at least three other refereed journals in the field of Education.

(G) Games and sports

Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

(Viii) other Amenities

- (a) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.
- (b) Separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.
- (c) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (d) Safe drinking water be provided in the institutions.
- (e) The institution's campus, building, facility etc should be disabled friendly.
- (f) There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached institutions or local body may be utilized exclusively for fixed periods. Where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for small court games, yoga and indoor games may be provided

(Note: If more than one course in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipment) and instructional space can be shared.)

(11) Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any, of the concerned State Government. In the absence of any such rule, the sponsoring society shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the Managing Society/ Trust/Company, Educationists, Primary/ Elementary Education Experts and Staff Representatives.

- 12. Examination fee- (i) The following amount will be charged by the Board as examination fees
- 1. Application form Rs. 250
- 2. Examination fees Rs. 100
- 3. Marks Fees Rs. 350
- 4. Miscellaneous Rs. 600
- 5. Late Fees Rs. 175

Total - Rs 1475.00

- ii. The aforesaid fees will stand revised from time to time by the Bihar School Examination Board
- 13. Academic Calendar- After completion of two years training examination will be conducted by the Bihar School Examination Board and certificate shall be issued the prescribed course could be completed by the institution in a better manner, and within the time schedule and for holding of examination on time the Board in co-operation with state education research and training council will release academic calendar which is to be followed necessarily/
- 14. Withdrawal of affiliation
- 1. Affiliation may be withdrawn by the Bihar School Examination Board either in a particular subject or in all subjects. Institution imparting Diploma (D.L.Ed) in elementary education may be disaffiliated if the Board is satisfied that such

institution are not fit to enjoy continuing affiliation to the Board.

- 2. Proceeding for withdrawal of affiliation may be initiated by the Board for non-observance of the following condition by the training college.
- i. Financial irregularities of the following conditions by the training college ii. Engagement in activities prejudicial to the interest of the State, inculcating or promoting feelings of disloyalty or dis-affection against the Government established by law.
- iii. Encouraging or tolerating disharmony/ hatred between different sections of the society.
- iv. Non-fulfilment of conditions laid down regarding deficiencies to be removed even after due notice.
- v. Disregard to rules and conditions of affiliation even after receiving warning letters.
- vi. Hindrance in the smooth functioning of the training college on account of dispute between rivalries within the training college management.
- vii. Poor academic performance of the training college for three consecutive years in not being able to keep at least 50% of passes of the general pass percentage.
- viii. Non-availability of proper equipment/space/staff for teaching a particular subject.
- ix. Any other misconduct in connection with the admissions/examinations/any other area which in

the opinion of the Board warrants immediate disaffiliation of the training college.

- x. In case of transfer of property/sale training college by one society/ management/trust to another society/ management/trust through agreement/sale deed.
- xi. Any violation of the norms that have been prescribed by the Hon'ble supreme Court of India in the writ petition (Criminal) no. 666-70 of 1992 Vishaka and others V/s State of Rajasthan and others delivered on 13.08.1997 for protection of women from sexual harassment at the work place if established would attract strict action against the institution which may even lead to disaffiliation.
- 3. The Board shall provide adequate time and opportunity to the Management of the training college served with a "show Cause Notice" up to a maximum of one year for adequate compliance/removal of defects failing which the Board may declare the institution disaffiliated. Such decision by the Board shall be final and binding. The maximum period of reply to "Show Cause Notice" may not exceed one month.
- 4. Mere submission of application form for affiliation or its pendency with the Board shall not entitle any training college a right to be affiliated to the Board nor will it resort to do anything in any manner which may create any wrong impression in the public mind to this effect.
- 5. In the event of a training college failing to maintain the prescribed norms for affiliated training college and / or rules of the Board and / or the training college deteriorates in standards of performance, the Board will ask such a training

college to rectify the deficiencies and come up to standard prescribed for maintaining affiliation within a period not exceeding one year. If the training college fails to meet the requirement it may lose the status of an affiliated training college and may be dis-affiliated, if considered necessary by the Board.

- In case training college is subjected to disaffiliation and if files application for revival of the affiliation within five years of such disaffiliation, its case shall be considered by the screening committee without merits charging fresh for affiliation. However, fee repeated violation of the Bye-laws will lead to permanent disaffiliation of the training college.
- 15. Sale/transfer of the college- The Board will not permit sale/transfer of the college or any property of the college through an agreement sale deed by one society/management/trust to an another society/management/trust. If such act is done apparently or impliedly the Board will withdraw affiliation with immediate effect.
- 16. Removal of hardship- After implementation of this Regulation if any hardship is occasioned for removal of which the Board will be competent and for the said purpose shall be issuing separate Rule/Regulation, guideline and letter which will be part of the present regulation and compliance of which will be essential for the institution.
- 17. Repeal and Saving-Rule, regulation, circular and letter issued by Bihar School Examination Board earlier shall stand repealed with effect from the date of implementation of this regulation.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have done or taken under the regulation hereby repealed shall, is so far as it is not inconsistent with the provision of these regulation, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulation.

The present Regulation is to be followed by institution which had been granted affiliation by the Bihar School Examination Board prior to this regulation and the prescribed affiliation fees is not deposited by them, the same shall be deposited within 15 days from the date of issuance of this regulation and in case of not doing so there affiliation will be cancelled.

Draft

Application for affiliation (Bihar School Examination Board)

1.	Name			
2.		ouncil for	teacher	in the letter of education will
3.	The detail Council letter (The sel	s of regul for f-attested	teache dated photocor	educational education education education education of the letter for teacher
	education v			
4.	given by education	the Nation	al Coun	nition has been cil for teacher number of
5.			stud	dents for
6.		prior co	nducted	course: Name of
	Number dadmission			anctioned for
	Letter no. with Recogn			letter connected .
	Name of the	e issuing a	uthority	•
	(Self-attes	_	copy of	the letter will
7.	to be men department;	tioned Aca	demic Pacul	f (the number is rincipal/Head of ty)
	Science		ities an	d Social Science

.... Mathematics Language....... fine Arts Health and physical education......

Computer operator cum Store keeper... Computer Lab Assistant

(Self-attested copy of qualification and marks of the appointed staff and of staff associated with the prior conducted course)

- 8. Details of the registered land...... square meter
 - (Self-attested photocopy of the registered document will be enclosed)
- 9. Details of the building: Number of class room..... number of multipurpose hall Area of Hall square meter/Library cum Resource centre.... Curriculum laboratory Computer Laboratory Art and craft Resource Centre and physical education centre Health Principal room Staff room.... ... • Administration office... storeroom for male and female students Teachers Canteen Visitor room.... Toilet (male toilet (Female) ... toilet (C.W.S.N.) ramp ... parking space ... playground ...
- 10. Constitution of managing committee (yes/no) has been constituted ... (self-signed list of members of the managing committee will be enclosed)
- 11. Fees

Affiliation Fees

Processing fees Rs. Bank Draft No. ... Name and Address of the issuing Bank.

Name and Address of the issuing Bank...

Bank Draft No. ... Name and Address of the issuing Bank.

Name and Address of the issuing Bank...

12. Certificate

Certified that (Name and Address of the institution)......... has received recognition from National council for teacher education for conducting D.L.Ed course for ... unit. Application for grant of affiliation is being forwarded to Bihar School Examination Board. It is also certified that the details given in the application and the enclosures contain correct information.

The institution shall be liable if information and details furnished in the application and the enclosure are found to be wrong and whatever decision is taken by the Board on such issue will be acceptable to the institutions.

Name (Signature and Seal) Chairman/Secretary

Date

Details of enclosure

DRAFT

Certificate complying prescribed working days.

of student and teachers shall be followed. If during the course of inspection by the Board it is found that the prescribed norm and standard had not been followed, the institution, will be responsible for the same and in they regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Name

(Signature and Seal)
Chairman/Secretary

Certificate complying reservation prescribed by the State Government

Certified that (Name and Address of the Institution)

the admission of students will be taken in conformity with the eligibility prescribed under sub clause 3.2 (eligibility) (A) of clause 3 of National Council for teacher education Regulation 2014 for D.L.Ed course.

It is also certified that in admission following provision sub clause 3.2 (B) of clause 3, Reservation and Reservation roster prescribed by the state government shall totally be following.

If during the course of inspection by the Board found that the prescribed norm and standard had not been followed, the institution shall be responsible for the same and this regard whatever action will be taken will be acceptible to the institution.

Name

(Signature and Seal)

Chairman/Secretary

Certificate Complying Admission fees other fees

Certified that (Name and Address of the institution) that the tuition fees of students and other fees if prescribed by the State Government under the norms and standard of sub clause 3.4 (fees) of clause 3 of National teacher Education Council Regulation 2014 for D.L.Ed course shall totally be followed by the institution.

It is also certified that in conformity with sub clause 3.4 of clause 3 no donation, capitation fees will be charged from the students by the institution.

If during the course of inspection by the Board it is found that the prescribed norm and standard had not been followed, the institution shall be responsible for the same and in this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Name

(Signature and Seal)

Chairman/Secretary

Certificate complying curriculum and course

Certified that (Name and address of the institution) that the norms and standard prescribed under sub clause 4.1 (curriculum) (A)(B)(C) and (D) (programme coordinator) and 4.2 programme coordination and 4.3 (evaluation) of clause 4 (curriculum programme execution and evaluation) of National teacher Education Council Regulation 2014 for D.L.Ed course shall totally be followed.

It is also certified that the curriculum and course developed by the State Government (SCERT) for D.L.Ed course shall totally be followed by the institution.

If during course of inspection by the Board it is found that the prescribed norm and standard had not been followed the institution shall be responsible for the same and in this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Name

(Signature and Seal)

Chairman/Secretary

Certificate for appointment of staff payment of salary and attendance.

Certified that (Name and Address of the institution) that the norm and standard prescribed under sub clause 5.1 (staff and academic unit) 5.2 (qualification) 5.3 (administrative and professional staff) 5.4 (registration of service and condition) of clause 5 (academic) of national teacher education council regulation 2014 for D.El.Ed course shall totally be followed.

It is also certified that if in terms of sub clause 5.4 (registration of service and condition) pay scale of teachers and other staff is fixed by the state government or the Bihar school Examination Board through any Rule the same shall be totally followed by the institution.

If during course of inspection by the Board it is found that the prescribed norm and standard had not been followed the institution shall be responsible for the same and in this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Name

(Signature and Seal)

Chairman/Secretary